प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक- 16.01.2026

14 वर्षीय बालक द्वारा पढ़ाई के भय से रची गई अपहरण की फर्जी कहानी

एसपी संतकबीरनगर के निर्देश के क्रम में जाँच में झूठी निकली अपहरण की रची कहानी

दिनांक 13.01.2026 को थाना दुधारा क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय बालक मो0 जैद द्वारा अपने परिजनों को फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रुमाल में बेहोशी की दवा सुंघाकर उसका अपहरण कर लिया गया तथा उसे बस्ती रेलवे स्टेशन ले जाया गया, बालक द्वारा यह भी बताया गया कि होश आने पर वह अवसर पाकर वहां से भाग निकला और ट्रेन से गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंच गया है, उक्त सूचना पर परिजन बालक को गोंडा चाइल्ड लाइन के माध्यम से सकुशल घर ले आए।

उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशानुसार थाना दुधारा पुलिस द्वारा मामले की गहन जाँच की गई तो मो0 जैद के परिजन (चाचा) द्वारा आज दिनांक 16.01.2026 को थाना दुधारा पर श्री नूरुल होदा खान निवासी जातेडिहा दुबौलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि मो0 जैद पढ़ाई-लिखाई के दबाव से भयभीत रहता था तथा पढ़ाई में मन न लगने के कारण वह अपनी बुआ के यहाँ गुजरात जाने की योजना बना रहा था, दिनांक 13.01.2026 को लगभग 03:00 बजे वह ट्यूशन जाने के बहाने साइकिल लेकर घर से निकला रास्ते में साइकिल पंचर हो गई, साइकिल को कस्बा दुधारा में एक साइकिल मिस्त्री की दुकान पर छोड़ दिया और वहां से टेंपो द्वारा बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंच गया, इसके पश्चात उसने लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, घर पर डांट पड़ने के भय तथा पैसों की कमी के कारण मो0 जैद ने ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री के मोबाइल फोन से अपने परिजनों को अपहरण की मनगढ़ंत कहानी बताई, जिससे वे भयभीत हो गए। पुलिस जाँच में अपहरण की कोई घटना घटित होना नहीं पाया गया। सम्पूर्ण प्रकरण बालक मो0 जैद द्वारा स्वयं रची गई झूठी कहानी सिद्ध हुई।

*जनपद पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी सूचना को लेकर धैर्य बनाए रखें तथा पुलिस जाँच में सहयोग करें।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभय नाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता विजय पुत्र इन्द्रमोहन निवासी सेमरी सेमरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को नटवाबर तिराहा के पास से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर आज दिनांक 16.01.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय पुत्र इन्द्रमोहन निवासी सेमरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0स0 30/2026 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

- 01 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 57/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 शरद कुमार राय, का0 संदीप यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7669 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 7669 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बैकुण्ठपुर पोखरा से कालर द्वारा दो मोटर साईकिलों के आपस में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.सुरेन्द्र कुमार पुत्र परमात्मा निवासी बानुपर थाना लालगंज जनपद बस्ती 02.अभय कुमार पुत्र राम जियावन निवासी बैकुण्ठपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 गौरव पाण्डेय, हो0गा0चा0 वकील पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 214 वाहनों से 2,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 16.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 214 वाहनों से 2,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** द्वारा जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनाँक 16.01.2026 को मु0अ0सं0 948/2025 धारा 331(4),305(a) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मो0 अयान पुत्र मो0 अरसद निवासी सवापार वार्ड नं0 01 हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को चोरी के 01 अदद मोबाइल व 05 अदद साड़ी, 01 अदद आधारकार्ड के साथ नौरंगिया मैनसिर नहर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 948/2025 मे धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 15.10.2025 को वादी श्री सौरभ शुक्ल पुत्र वृजेन्द्र शुक्ल निवासी बेलपोखरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 13.10.2025 को वादी के घर में रात के समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 948/2025 धारा 331(4),305(a) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मो0 अयान पुत्र मो0 अरसद निवासी सवापार वार्ड नं0 01 हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01. 01 अदद मोबाइल
02. 05 अदद साड़ी
03. 01 अदद आधारकार्ड

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामाश्रय यादव,उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, हे0का0 रामभवन गुप्ता, का0 मनीष प्रभात।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 79 स्थानों पर 1447 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***829 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***
- ***37 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***57 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***

- धारा 296 बीएनएस के तहत 02 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 150 व्यक्तियों को चेक किया गया, 120 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 187 व्यक्तियों को चेक किया गया, 63 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 130 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 17 स्थानों पर 185 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 93 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 28 स्थानों पर 315 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 02 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया, 278 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 20 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 135 व्यक्तियों को चेक किया गया, 30 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 05 स्थानों पर 180 व्यक्तियों को चेक किया गया, 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 45 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 68 स्थानों पर 2416 वाहनों को किया गया चेक ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 159 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1423 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 16.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।